

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

उनवान - मोहनी देवी व अन्य बनाम
किस्म:- आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.भू.रा.अधि.

तहसीलदार सीकर ग्रामीण
मु.नं - 80 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा पत्र
03.06.2025	<p>प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सांवरमल द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। कार्यालय रिपोर्ट प्राप्त की गई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली आ.ता.पेशी 09.06.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी सीकर</p>
9/6/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व निर्देशानुसार दिनांक 13/6/25 को पेश हो।</p>
13/6/25	<p>पत्रावली पेश हुई। आज अधिवक्तागण ने कार्य स्थगित कर दिया है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 15/6/25 को पेश है।</p>
13/6/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व निर्देशानुसार दिनांक 16/6/25 को पेश हो।</p>
16/6/25	<p>पत्रावली पेश हुई। आज अधिवक्तागण ने कार्य स्थगित कर दिया है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 18/6/25 को पेश है।</p>
18/6/25	<p>पत्रावली पत्र। अदि. प्रार्थीगण हाजिर। अग्रिम। 1. अतिरिक्त विधिक करवाएंगे, धाकपूर ताजिक हाजिर नहीं। अग्र: अफादि 5.1 के अन्तर्गत एकराज्य कार्यवाही अग्रिम में आगे जा रही है। विवादित भूमि पर पीठासीन न्यायाधीश के आदेशानुसार, रिजिस्ट्रार को अफादि 5.1 के अन्तर्गत कार्यवाही अग्रिम में आगे जा रही है। अग्रिम न्यायाधीश के आदेशानुसार, रिजिस्ट्रार को अफादि 5.1 के अन्तर्गत कार्यवाही अग्रिम में आगे जा रही है। अग्रिम न्यायाधीश के आदेशानुसार, रिजिस्ट्रार को अफादि 5.1 के अन्तर्गत कार्यवाही अग्रिम में आगे जा रही है। अग्रिम न्यायाधीश के आदेशानुसार, रिजिस्ट्रार को अफादि 5.1 के अन्तर्गत कार्यवाही अग्रिम में आगे जा रही है।</p>